न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- मुकेश कुमार मूड , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर - 10/2010 निर्णय दिनांक :- 05/02/2020

मंदिर मूर्ति श्री महादेव जी महाराज वाके बरेव जरिये नायब तहसीलदार व अध्यक्ष ग्रामीण अचलों में स्थित अराजकीय मंदिरो के लिए गठित समिति।

......................वादी

बनाम

1 पुरखा पुत्र बलदेव कौम बावरी निवासी बरेव तह. परबतसर ।
2. दुर्गा पुत्र बलदेवराम कौम बावरी निवासी बरेव तह. परबतसर।
3 तहसीलदार परबतसर।
4 सोमनाथ चेला मंगलनाथ जाति योगी सा. बरेव तह. परबतसर।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183।

उपस्थित :- राजपैरोकार श्री राजेश मीणा तहसीलदार परबतसर
श्री त्रिलोकी नाथ नियुक्त पैरोकार प्रतिवादी 4

1. यह वाद नायब तहसीलदार पीलवा व अध्यक्ष ग्रामीण अंचलो में स्थित अराजकीय मंदिरो के लिए गठित समिति के द्वारा पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम बरेव तहसील परबतसर में मंदिर मूर्ति श्री महादेव जी की खातेदारी हक हिस्से की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2059-62 खसरा नम्बर 279, 279/1 कुल रकबा 14-08 बीघा स्थित हैं जिस पर प्रतिवादीगण 1, 2 ने अतिक्रमण कर लिया हैं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प-6 (17)प्र.सु./अनु. - 3/2002 दिनांक 27.05.2002 के द्वारा ग्रामीण अंचलो में स्थित अराजकीय मंदिरो की उचित कृषि व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर समति गठित की गई हैं जिसका प्रार्थी अध्यक्ष हैं। मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से मूर्ति महादेव जी के हितों की रक्षार्थ यह वाद पेश किया है। उक्त कृषि भूमि मंदिर मूर्ति महादेव जी की खातेदारी की हैं जिस पर बगैर विधिक अधिकार प्रतिवादी 1, 2 ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा हैं और फसल पैदा कर ले जला रहे हैं जिससे वादी मूर्ति को अपूर्णीय क्षति हो रही हैं तथा भूमि खुर्द- बुर्द किये जाने से बचाने एवं अतिक्रमयों व आस्थावान नागरिको के बीच टकराव होने की पूरी सभावना होने से शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उक्त भूमि शीघ्रताशीघ्र सरकार द्वारा गठित समिति के कब्जे में लिया जाना अति आवश्यक हैं वादी ने वाद पेश कर प्रतिवादी 1, 2 को बेदखल कर वादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जाने की इस्तदुआ की है।

5/4/2020

उप खण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 04.10.2010 को प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलचन्द सीलकी ने वकालतनामा पेश कर जबाव हेतु समय चाहे जाने पर समय दिया गया दिनांक 03.09

2012 को प्रतिवादी 1, 2 की ओर से जबाब पेश होने पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई प्रतिवादी 4 द्वारा दिनांक 08.12.2015 को आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर सोमनाथ मंदिर के पुजारी को प्रतिवादी बनाया गया प्रतिवादी 4 ने जबाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया हैं कि पुजारी सोमनाथ सिविल न्यायालय परबतसर द्वारा वाद संख्या 27/2009 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2015 के द्वारा मूर्ति मंदिर महादेव जी वाके बरेव का पुजारी व मंदिर के अधिन कृषि भूमि का व्यवस्थापक घोषित हुआ हैं, पूर्व स्थिति में इस वाद में मंदिर की भूमि का कब्जा सरकार लेना चाहा हैं जो उस स्थिति में उचित था लेकिन वर्तमान में जब सोमनाथ के हित में न्यायालय ने घोषणा कर दी हैं तब कब्जा व फसल पाने का हक मूर्ति महादेव की सेवा पूजा के लिये उपयोग हेतु पुजारी सोमनाथ को प्राप्त हैं जागीर रिज्मशन काल से ही जमाबन्दी अनुसार वाद में वर्णित भूमियां मंदिर मूर्ति महादेव जी की खातेदारी में दर्ज रही हैं लेकिन बाद में उप कृषक को खातेदारी नियम विरूद्ध प्राप्त हो गई थी जिसका सरकार ने सुधार कर पुनः मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज की हैं जो सही हैं लेकिन भूमि पर कब्जा अप्रार्थी 1, 2 का ही चला आ रहा हैं जबाब के साथ काउन्टर क्लेम पेश कर प्रतिवादी 4 ने निवेदन किया हैं कि अतिक्रमी प्रतिवादी 1, 2 को मूर्ति मंदिर महादेव जी की खातेदारी भूमि से बेदखल कर कब्जा प्रतिवादी 4 सोमनाथ पुजारी को सुपुर्द किया जावे। तत्पश्चात दिनांक 28.02.2017 को तनकीयात कायम की गई। प्रतिवादी 1, 2 की ओर से अधिवक्ता ने नो – स्ट्रेक्शन किया हैं तत्पश्चात वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की गई। उभय पक्षों द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने एवं प्रतिवादी 1, 2 की ओर से वाद को नो– स्ट्रेक्शन किया करने से तनकीवार निर्णय की आवश्यकता नहीं होने से उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया।

3. वादी द्वारा वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2059–62 पेश की हैं जिसमें ग्राम बरेव के खसरा नम्बर 279, 279/1 कुल रकबा 14–18 बीघा भूमि मंदिर श्री महादेव जी का पुजारी चेला सरूपानाथ सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं तथा नामान्तकरण संख्या 547 के द्वारा सम्पूर्ण खाता मंदिर मूर्ति श्री महादेव जी वाके देह खातेदार दर्ज रिकार्ड किया गया हैं जमाबन्दी के अनुसार उक्त विवादित आराजीयत मूर्ति मंदिर श्री महादेव जी महाराज के नाम दर्ज रिकार्ड हैं जिस पर वादी व प्रतिवादी 4 के अनुसार प्रतिवादी 1, 2 ने अतिक्रमण के रूप में कर रखा हैं मूर्ति मंदिर जो शाश्वत नाबालिग हैं, को फसल नहीं लेने दे रहे हैं जिससे मूर्ति मंदिर को अपूर्णीय क्षति हो रही हैं कानून भी मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग हैं जो कि स्वंय काश्त करने में समर्थ नहीं है और उसकी ओर से जो भी व्यक्ति काश्त करता हैं, चाहे वह प्रबन्ध हो, पुजारी हो, सेवायत हो, उप कृषक हो या कब्जाधारी हो, वह मंदिर की ओर से की काश्त माना जायेगा ओर उस कब्जेधारी व्यक्ति को कभी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे उसका कब्जा कितना ही लम्बा क्यों नहीं हो ओर हर सूरत में वह जमीन मंदिर की ही खुदकाश्त मानी जावेगी ओर राजस्व

5/2/20

उप खण्ड अधिकारी [न्या.]
परबतसर

अधिकारियों की गलती से मंदिर की भूमि किसी कब्जेधारी के नाम दर्ज कर दी गई हैं, तो उसकी खातेदारी को निरस्त किया जाकर वापिस मंदिर की खातेदारी में ही दर्ज की जावेगी तथा अतिक्रमि को बेदखल करने हेतु धारा 183 के तहत वाद लाया जा सकता हैं। इस प्रकार में भी मंदिर मूर्ति महादेव जी के नाम दर्ज रिकार्ड हैं, जिस पर प्रतिवादी 1,2 में अतिक्रमण कर रखा हैं, उक्त मंदिर भूमि महादेव जी की सेवा पुजा एवं मंदिर के अधिन भूमि बाबत सोमनाथ चेला मंगलनाथ जाति नाथ निवासी बरेव को माननीय सिविल न्यायालय (वरिष्ट खण्ड) परबतसर मुकदमां नम्बर 27/009 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पुजारी व्यवस्थापक घोषित किया गया है, वाद प्रस्तुत करने के दिन प्रतिवादी 4 मंदिर का पुजारी व व्यवस्थापक घोषित नहीं था। प्रस्तुत दस्तावेज से सावित होता हैं कि विवादग्रस्त आराजीयत मूर्ति मंदिर महादेव जी महाराज की खातेदारी सुदा भूमि हैं, जो शाश्वत नाबालिक हैं एवं अपने हितों की रक्षा करने में स्वयं समर्थ नहीं हैं, जिसके हितो की रक्षार्थ सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिवादी 4 को पुजारी एवं व्यवस्था पर घोषित किया हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र सं. क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 में मंदिर भूमि कर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेगें जेसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्व करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। जिससे वादी का वाद साबित होने से स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अतः वादी नायब तहसीलदार तत्कालिन पीलवा हाल भकरी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम बरेव के खसरा नम्बर 279, 279/1 कुल रकबा 14–08 बीधा भूमि से प्रतिवादी 1, 2 को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार परबतसर को निर्देश दिया जाता है कि परिपत्र सं. क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 की पालना में अतिक्रमी प्रतिवादी 1, 2 को इस भूमि से बेदखल कर अतिक्रमण हटावे तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 5/12/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/12/2020

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

डिक्री मुकदमा इन्तकाई (ऑ 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालत – उपखण्ड अधिकारी परबतसर , जिला नागौर, राज.

अज अदालत – मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

मंदिर मूर्ति श्री महादेव जी महाराज वाके बरेव जरिये नायब तहसीलदार व अध्यक्ष ग्रामीण अचलों में स्थित अराजकीय मंदिरों के लिए गठित समिति।

..................वादी

बनाम

1. [illegible] पुत्र बलदेव कौम बावरी निवासी बरेव तह. परबतसर ।
2. दुर्गा पुत्र बलदेवराम कौम बावरी निवासी बरेव तह. परबतसर।
3. तहसीलदार परबतसर।
4. सोमनाथ चेला मगलनाथ जाति योगी सा. बरेव तह. परबतसर।

मुकदमा नम्बर – 10/2010 निर्णय दिनांक :–

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री रापेराकार श्री राजेश मीणा तहसीलदार परबतसर एंव श्री त्रिलोकी नाथ नियुक्त पैरोकार प्रतिवादी 4 को डिक्री दी जाती हैं कि :–

ग्राम बरेव के खसरा नम्बर 279, 279/1 कुल रकबा 14–08 बीघा भूमि से प्रतिवादी 1, 2 को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार परबतसर को निर्देश दिया जाता है कि परिपत्र सं. क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 की पालना में अतिक्रमी प्रतिवादी 1, 2 को इस भूमि से बेदखल कर अतिक्रमण हटावे तथा राजस्व विभगा राजस्थान सरकार एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....5/2/2020..... को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः 5/2/2020

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

5/2/2020

उप खण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)